



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022026-269926
CG-DL-E-07022026-269926

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947

No. 610]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 640(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मिजोरम राज्य के ऐज़ौल जिले में NH6 के कि.मी. 0 से कि.मी. 50 (ट्रेज़री स्ट्रैट ऐज़ौल मिजोरम) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्,

यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मिजोरम राज्य के ऐज़ौल जिले में NH6 के कि.मी. 0 से कि.मी. 50 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मिजोरम			जिले का नाम: ऐज़ौल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: तलंगनुयम					
गांव का नाम: मुथि					
1	PKG 2A PP 146 OF 2005	निजी	ड्राय	0.501 (हेक्टेयर)	0.501
2	PKG 2A PP 74 OF 1984	निजी	ड्राय	1.598 (हेक्टेयर)	1.598
3	PKG 2A VC 15 OF 1982	निजी	ड्राय	1.333 (हेक्टेयर)	1.333
4	PKG 3A VC 311 OF 1989	निजी	ड्राय	0.826 (हेक्टेयर)	0.826
5	PKG 3A VC 70Z OF 1978	निजी	ड्राय	0.426 (हेक्टेयर)	0.426
Total					4.684

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Seling/2021/Aizawl Bypass/LA/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 640(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for

the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH6 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 50 (Treasury Square, Aizawl, Mizoram) in the district of AIZAWL in the state of MIZORAM, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Deputy Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH6 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 50 (Treasury Square, Aizawl, Mizoram) in the district of AIZAWL in the state of MIZORAM

State: MIZORAM			District: AIZAWL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Tlangnuam					
Village: Muthi					
1	PKG 2A PP 146 OF 2005	Private	Dry	0.501 (Hectare)	0.501
2	PKG 2A PP 74 OF 1984	Private	Dry	1.598 (Hectare)	1.598
3	PKG 2A VC 15 OF 1982	Private	Dry	1.333 (Hectare)	1.333
4	PKG 3A VC 311 OF 1989	Private	Dry	0.826 (Hectare)	0.826
5	PKG 3A VC 70Z OF 1978	Private	Dry	0.426 (Hectare)	0.426
Total					4.684

[F. No. NHIDCL/PMU-Seling/2021/Aizawl Bypass/LA/3A]
SHAIKH AMINKHAN, Director